



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 भाद्र 1942 (श०)

(सं० पटना 571) पटना, मंगलवार, 15 सितम्बर 2020

गन्ना उद्योग विभाग

आदेश

21 अगस्त 2020

सं० 02/रेगु०-2-800-06/2020-887—बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम-1981 की धारा-31(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, उदय कुमार सिंह, ईखायुक्त, बिहार पटना **पेराई सत्र 2020-21 से 2024-25** (पाँच वर्षों) के लिए ईखापूर्ति हेतु गन्ना क्षेत्र के ग्रामों को मेसर्स **मझौलिया सुगर इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, मझौलिया, पश्चिम चम्पारण** के साथ **परम्परागत** रूप में आरक्षण से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव पर सभी संबंधित चीनी मिलों के प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय ईख पदाधिकारियों, विभागीय पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधितों के समक्ष विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (V.C.) के माध्यम से दिनांक-06.08.2020 को सुनवाई की गई।

विभागीय आदेश संख्या-2316 दिनांक-24.09.2015 के माध्यम से पूर्व में पेराई सत्र 2015-16 से 2019-20 के लिए इस चीनी मिल के लिए 187 ग्रामों का **परम्परागत** रूप से आरक्षित क्षेत्र गठित किया गया है एवं विभागीय आदेश संख्या-1650 दिनांक-26.09.2017 के माध्यम से आदापुर अंचल के 7 ग्रामों को मझौलिया चीनी मिल के परम्परागत आरक्षण आदेश से हटाते हुए सुगौली चीनी मिल को आरक्षित किया गया है तथा पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत 10 ग्रामों को परम्परागत रूप से पेराई सत्र 2017-18 से 2021-22 तक आरक्षित किया गया है एवं पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत 109 ग्रामों को अपरम्परागत रूप से पेराई सत्र 2017-18 से 2019-20 तक आरक्षित किया गया है। इस प्रकार इस चीनी मिल को परम्परागत रूप से 190 ग्राम एवं अपरम्परागत रूप से 109 ग्राम को आरक्षित किया गया है।

अपने क्षेत्र आरक्षण के संबंध में मेसर्स मझौलिया सुगर इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, मझौलिया, पश्चिम चम्पारण के महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि उनके चीनी मिल के लिए मात्र 190 ग्रामों को परम्परागत आरक्षित क्षेत्र पूर्व से गठित है। इसके अतिरिक्त पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत 109 ग्राम उन्हें अपराम्परागत रूप में आरक्षित है। उनके चीनी मिल की दैनिक पेराई क्षमता 5000 TCD है। आगामी पेराई सत्र में क्षमता विस्तारित कर 7500 TCD किया जायेगा। उन्होंने बताया कि पेराई सत्र 2020-21 के लिए उनके चीनी मिल का Normal Cane Requirement (NCR) 57.00 लाख निर्धारित हुआ है। उन्होंने बताया कि अपने मिल की पेराई हेतु न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूर्व से परम्परागत रूप में आरक्षित होते आ रहे 190 (180 + 10) ग्रामों को उनके द्वारा परम्परागत रूप में उनके पक्ष में आरक्षित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

सुनवाई के दौरान परम्परागत आरक्षण से संबंधित इस चीनी मिल द्वारा किये गये मांग पर किसी अन्य चीनी मिल द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी।

सुनवाई के दौरान किसानों, उनके प्रतिनिधियों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया।

संयुक्त क्षेत्रीय विकास परिषद्, पश्चिम चम्पारण के सदस्यों द्वारा अपने मंतव्य से दिनांक— 13.08.2020 को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (V.C.) के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया एवं यथास्थिति बनाये रखने का अनुरोध किया गया। क्षेत्र आरक्षण से संबंधित कार्यालय में संधारित अभिलेखों एवं मय नजरी नक्शा का भी अध्ययन किया गया। इस क्रम में यह परिलक्षित हुआ कि विभागीय आदेश संख्या—2316 दिनांक—24.09.2015 के माध्यम से इस चीनी मिल को 180 ग्राम पेराई सत्र 2015—16 से 2019—20 तक परम्परागत रूप से आरक्षित है एवं विभागीय आदेश संख्या—1650 दिनांक—26.09.2017 के माध्यम से पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत 10 ग्राम को पेराई सत्र 2017—18 से 2021—22 तक परम्परागत रूप से आरक्षित है। अतः इसमें किसी भी प्रकार बदलाव समीचीन प्रतीत नहीं होता है। अर्थात् वर्तमान में 180 ग्रामों का क्षेत्र आरक्षण किया जाना है।

पेराई सत्र 2019—20 का दिनांक—13.08.2020 तक ईख मूल्य भुगतान 52.82 प्रतिशत है। महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि मिल परिचालन के पूर्व शत—प्रतिशत ईख मूल्य भुगतान कर दिया जायेगा।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त और सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद मेसर्स **मझौलिया सुगर इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, मझौलिया, पश्चिम चम्पारण** के पक्ष में **पेराई सत्र 2020—21 से पेराई सत्र 2024—25** (पाँच वर्षों) के लिए राज्य के पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत उनको पूर्व से आरक्षित होते आ रहे 180 ग्रामों को जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट— 'क'** के रूप में दर्शित है, को **परम्परागत** रूप से आरक्षित किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धित
उदय कुमार सिंह,
ईखायुक्त।

आदेश से,
उदय कुमार सिंह,
ईखायुक्त।

परिशिष्ट –क

पेराई वर्ष 2020–21 से पेराई सत्र 2024–25 के लिए मेसर्स मझौलिया सुगर इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, मझौलिया, पश्चिम चम्पारण को परम्परागत रूप से आरक्षित 180 ग्रामों की सूची

क्रमांक	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	आरक्षित ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
1	प० चम्पारण	बेतिया	टोला मंसारउत	130
2			उज्जैन टोला	131
3			करगहीया पूरब	132
4			पर्ववतीय टोला	133
5			टोला हरदिया	186
6			बरबत सेना	187
7			चरगाहा	188
8			बरबत पसरैन	189
9			लोहार बट्टी	190
10			गनोली	191
11			दुसैया पादरी	193
12			बैजनाथपुर	245
13			पीपरा पकड़ी	246
14			बतबत लच्छु	247
15			रूपडीह	248
16			अहबरमझरीया	249
17		नौतन	नुरा खात	134
18			पकड़ीया	174
19			विशुनपुरा	180
20			पटरैवा	181
21			खडडा	182
22			पुरन्दरपुर	183
23			सनसरैया	184
24			धुमनगर	185
25			चूरामन पट्टी	179
26			बैकुण्ठवा	178
27			रेखासुन्दर पट्टी	175
28			लिलापट्टी	176
29			वरदाहा	177
30			तेलुआ	171
31			फुलीयाखांड	385 / 386
32			फुलीयाखांड	155
33			परसौनी	158
34			फुलीयाखांड	156
35			मंगलपुर गुदरीया	159
36			शिवराजपुर	388
37			करमईनी	389
38			महुआहा	170
39			बैकुण्ठवा	160
40			डबरीया	169
41			तेलुआ	168
42			झखरा	172
43			गहीरी	167
44			मझलीया किशुन	173
45			जमुनीया	254
46			बहुअरवा	255
47			टोला हलखोरवा	256

क्रमांक	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	आरक्षित ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
48			जगदीशपुर	258
49			मंगलपुर काला	161
50			बरीयारपुर	162
51			नौतन खास	163
52			शामपुर कोतराहा	164
53			बैरीया	165
54			रामनगर	166
55			खलवागहिरी	257
56			शामपुर	387
57			छरकी	390
58			विसम्भरपुर	391
59			भगवानपुर	392
60		बैरिया	भितहा	135
61			हाटसरैया	140
62			मठीया बन्दोबस्ती	141
63			खुशी टोला	136
64			मलकौली	142
65			पटखौली	143
66			मोतीहारी	147
67			तुमकरीया टोला	148
68			बगही	149
69			मियाँपुर दुबोलिया	151
70			फूलझरियाँ	153
71			फत्तुछापर	154
72			बैरीया	150
73			तदवा नन्दपुर	114
74			तदवा नन्दपुर	113
75			लौकरीया	112
76			दामोदरपुर	111
77			पटखौली	382
78			टोला घुसीयानी	370
79			गभीरपुर	110
80			टोला मोतिपुर	115
81			डुमरीया	116
82			टोला मलाही	117
83			बलुआ रामपुर	118
84			सीरसीया मठिया	119
85			बगम्भरपुर	120
86			मझरीया	145
87			सनसरैया (सिसवाँ)	146
88			टोला मनसादूबे	384
89			जगदीशपुर	371
90			नरायणपुर	373
91			गवरा	374
92			बथना	375
93			पटखौली	383
94			डीभेडीआरी	381
95			मच्छरगोवा	157
96			मिशिर भेड़ीहाड़ी	378
97			भईयाराम भेड़ीहाड़ी	379

क्रमांक	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	आरक्षित ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
98			बलदेव पडितवा	385
99			मिसिर भेडीहाड़ी	380
100		मझौलिया	महनागन्नी	203
101			चेलाभार	204
102			चनायनवान	205
103			खुटीयाईन्दू	206
104			रतनमाला	207
105			टोला उत्तीन पाण्डे	208
106			बंकठ मुशहरी	209
107			भरवलीया	210
108			बनकट खाफ	214
109			सरीसवां	215
110			पीपरादूबे	216
111			मठिया भरौलीया	217
112			पारस पकड़ी	218
113			बेरागीडीह	199
114			विशम्भरपुर	200
115			मलुकाटोला	201
116			दुधाचतुरी	219
117			ओझामठीया	220
118			धनकुटवा	221
119			बाघम्पुर	222
120			बरबा	223
121			सिमराघाट	224
122			हरपुर	225
123			रमपुरवा	226
124			रघुनाथपुर	227
125			सेमराबूत	228
126			मठीयावूत बन्दोबस्ती	229
127			बेखबरा	231
128			नौतनुखुर्द	232
129			मठीयाबूत	230
130			दुधा	233
131			धोकराहां	234
132			भलुही	235
133			गुरुचुरुवा	236
134			मझौलिया	237
135			मोहददीपुर	238
136			बसरा	239
137			मुहददीपुर टोलाभठ	240
138			हरीपकड़ी	241
139			सतभीरता	242
140			भानाचक	243
141			रामपुरबनकट	244
142			अमवामझार	250
143			जगन्नाथपुर	251
144			रामपुर बैरागी	252
145			विशम्भरपुर	253
146			कोहडाडीह	264
147			बैठनीया	265

क्रमांक	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	आरक्षित ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
148			नारायणपुर	266
149			एराजीननकार	267
150			ओझवलीया	268
151			पटखौलीया	269
152			थवैया	270
153			विलासपुर	271
154			कुर्मी टोला	272
155			बखरीया	280
156			शामपुर	281
157			सिरकहीया	282
158			परसाटोला डुमरी	283
159			जौकटीया	295
160			एराजीचकवार	290
161			लालसरैया	263
162			कुडीया	259
163			अवहरशेख	261
164			पुरुषोत्तमपुर	260
165			करमवा	287
166			मझरीयाशेख	262
167		नौतन	नौतन दूबे	152
168		चनपटिया	खसुआर	192
169			बेलवा बन्दोबस्ती	194
170			औरैया	195
171			टीका छपरा	196
172			जबदौल	197
173			महुअवाँ	198
174			लालगढ़	202
175			मोहछीसुगर	212
176			मोहछी नैन	211
177		सिकटा	सोनवर्षा	292
178			पुरेनीया	293
179			सुन्दरगावाँ	298
180		बैरिया	डीहभराव	377

उदय कुमार सिंह,
ईखायुक्त।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 571-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>